न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : संजू चौधरी, आर.जे.एस.
मूल आपराधिक प्रकरण संख्या : 04/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 93/2021 पुलिस थाना देलवाड़ा
पत्रावली सी.आई.एस. संख्या : 19/2022
पत्रावली सी.एन.आर.संख्या : RJRS070000422022

राजस्थान राज्य

———परिवादी/अभियोगी

ब ना म

इमरान पिता फजरूदीन, उम्र 35 वर्ष, निवासी सेखपूरिया का बास, रहमत नगर सरहेटा, पुलिस थाना तिजारा जिला खेरतल–तिजारा।

———अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 मोटरवाहन अधिनियम

उपस्थित :

1. राज्य की ओर से – विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कमलेश शर्मा
2. अभियुक्त की ओर से – विद्वान् अधिवक्ता श्री महेश वर्मा

: : निर्णय : :

दिनांक : 16.07.2026

1. थानाधिकारी पुलिस थाना देलवाड़ा द्वारा अभियुक्त इमरान के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 69/2021 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 मोटरवाहन अधिनियम में पेश करने पर दिनांक 10.01.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2021 को परिवादी भैरूलाल पिता हीरा ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.10.2021 को वह अपने ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 से दिन में करीब 12 पीएम के लगभग सुखेर से मार्बल ग्रेनाइट भरकर राजनगर के लिए वह तथा उसके साथ काम करने वाली लेबर में जीवन, प्रेमलाल, सुरेश उर्फ सुंदरलाल निवासीयान मुणवास व हीरालाल पिता लहरीलाल व हिरालाल पिता केसुजी निवासीयान मुणवास थाना सुखेर जिला उदयपुर उसकी ट्रक से सुखेर से रवाना हो दिन में करीब 01 पीएम के लगभग लिलेरा पेट्रोल पंप के

पास पहुंचे कि पीछे से एक कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 का चालक ट्रक कंटेनर को तजगति गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया। वह अपनी साईड में अपने ट्रक को लेकर चला रहा था, जिसने उसकी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर कुदकर नीचे बायीं तरफ खड्डे में पलटी खा गयी, जिससे उन सभी के चोटें आईं। हिरालाल पिता केशुलाल के गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक नंबर एचआर 55 एसी 7822 का चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग गया .....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना देलवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2021 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 चाक की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त इमरान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 मोटरवाहन अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 मोटरवाहन अधिनियम का आरोप सारांश पृथक् से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तथा उसकी विशिष्टियां समझाई गई, जिसे समझ कर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड.1 डॉ. अनिल, पी.ड.2. भैरूलाल, पी.ड.3 प्रेमलाल पिता रोडीलाल, पी.ड.4 जीवन, पी.ड.5 डॉ. विकास, पी.ड.6 सुरेश उर्फ सुंदरलाल, पी.ड.7 प्रेमलाल पिता शंकरलाल, पी.ड.8 सुंदरलाल, पी.ड.9 पेमा, पी.ड.10 ओमप्रकाश, पी.ड.11 धुलाराम, पी.ड.12 देवीलाल, पी.ड.13 टेका, पी.ड.14 मानसिंह, पी.ड.15 तुलसीराम, पी.ड.16 पिंकेश, पी.ड.17 नितिन, पी.ड.18 उदयलाल को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सुंदर का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, प्रेमलाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, जीवन का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3, भैरूलाल का चोट प्रतिवेदनप्रदर्श पी–4, घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–5, नक्शा मौका प्रदर्श पी–6, फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी–7, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–8, हीरालाल पिता लहरीलाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9, हीरालाल की एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–10, मृतक का पोस्टमार्टम करवाने हेतु एमओ को तहरीर प्रदर्श पी–11, आहत हीरालाल पिता लेहरीलाल

का मेडिकल करवाने बाबत् एमओ को तहरीर पी–12, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–13, फर्द सुपुर्दगी मिनी ट्रक प्रदर्श पी–14, मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–15, फर्द जब्ती कंटेनर प्रदर्श पी–16, फर्द डिटेन मिनी ट्रक प्रदर्श पी–17, वाहन स्वामी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–18, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–19, अभियुक्त को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–20, जीवन, भैरूलाल, सुरेश उर्फ सुंदरलाल का मेडिकल करवाने हेतु एमओ को तहरीर प्रदर्श पी–21, प्रेमलाल का मेडिकल करवाने हेतु एमओ को तहरीर प्रदर्श पी–22, नितिन द्वारा यूसूफ रजा शेख के नाम जारी की गई पावर ऑफ अटॉर्नी की टीसी प्रति प्रदर्श पी–23 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये। अभियुक्त ने निर्दोष होने का कथन करते हुये उसे झूठा फंसाये जाना प्रकट किया और प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण के सुविधापूर्वक निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न बनाये जाते हैः–

(1)– क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2021 को समय करीब 01 पीएम पर लिलेरा पेट्रोल पंप के पास कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 को पीछे से टक्कर मारी, जिससे मानवजीवन संकटापित्त हुआ और इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप हिरालाल पिता केशुलाल की ईलाज की दौरान मृत्यु हो गई तथा भैरूलाल, जीवन, प्रेमलाल, सुरेश उर्फ सुंदरलाल, हिरालाल पिता लहरीलाल के साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई?

– यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या है ?

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए कहा है कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त इमरान के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 मोटरवाहन अधिनियम का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए कहा है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। उक्त दुर्घटना में अभियुक्त की कोई लापरवाही नहीं रही है। सभी तात्विक गवाहों ने दुर्घटना कारित कंटेनर के नंबर एचआर 55 एसी 7822 होने का कथन किया है, किंतु चालक का नाम नहीं बताया है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हुआ है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि परिवादी भैरूलाल द्वारा दिनांक 16.10.2021 को समय करीब 01 पीएम पर उसके ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 को कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 द्वारा पीछे से टक्कर मारने तथा उक्त टक्कर से हीरालाल पिता केशुलाल की मौके पर मृत्यु होने तथा आहत जीवन, प्रेमलाल, सुरेश उर्फ सुंदरलाल, हीरालाल पिता लहरीलाल के साधारण एवं गंभीर प्रकृति की चोट कारित करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले कंटेनर के चालक का नाम अंकित नहीं है, बल्कि दुर्घटना कारित वाहन के नंबर एचआर 55 एसी 7822 ही अंकित है। उक्त दुर्घटना को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के एफआईआरकर्ता/आहत गवाह पीडब्ल्यू 1 भैरूलाल को परीक्षित करवाया गया, जिसने मुख्य परीक्षण के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए यह कथन किया कि दिनांक 16.11.2021 को करीब 12.30–01 बजे के आस–पास की बात है। वे सुखेर से उसके ट्रक आरजे 27 जीसी 4968 में ग्रेनाइट मार्बल भरकर राजनगर के लिए जा रहे थे। उसके साथ छह जने थे, जिनमें जीवन, प्रेमलाल, हीरालाल, सुंदर व हरीलाल था। एक्सीडेंट अजंता से नीचे की तरफ लिलेरा पेट्रोल पंप के पास हरियाणा नंबर की कंटेनर से उनके ट्रक के टक्कर मारने से हुआ। टक्कर मारने वाले वाहन के नंबर एचआर 55 7822 थे। उनके ट्रक को टक्कर लगने से डिवाईडर पर चढ़कर खाई में गिर गई, जिससे उनके चोटें आई तथा हीरालाल की मौत हो गई। गवाह ने यह भी कथन किया कि **कंटेनर कौन चला रहा था, यह उसे नहीं पता। कंटेनर चालक मौके से भाग गया था, इसलिए उन्हें पता नहीं कि कंटेनर कौन चला रहा था।** गवाह द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 5, स्वयं का मेडिकल

प्रदर्श पी 4, नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त फर्दों पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किए। अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि समय अधिक होने से उसने अपने मुख्य कथनों में दिनांक 16.11.2021 लिखा दी, उनका एक्सीडेंट दिनांक 16.10.2021 को ही हुआ था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि प्रदर्श पी 5 पुलिस वाले लिखकर लाए थे। **प्रदर्श पी 5 पर गाड़ी नंबर अंकित है, वह भी उसे पुलिस वालों ने बताया था।** गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित वाहन कौन चला रहा था, यह उसे वक्त दुर्घटना भी पता नहीं था और आज भी पता नहीं है।

10. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य आहत/चश्मदीद गवाह गवाह पीडब्ल्यू 3 प्रेमलाल पिता रोडीलाल, गवाह पीडब्ल्यू 4 जीवन, गवाह पीडब्ल्यू 6 सुरेश उर्फ सुंदरलाल को परीक्षित करवाया गया, जिन्होंने मुख्य परीक्षण के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक ही स्वर में यह कथन किया कि दिनांक 16.11.2021 को करीब 12.30–01 बजे के आस–पास की बात है। वे सुखेर से ट्रक आरजे 27 जीसी 4968 में ग्रेनाइट मार्बल भरकर राजनगर के लिए जा रहे थे। वे छह जने थे। एक्सीडेंट अजंता से नीचे की तरफ लिलेरा पेट्रोल पंप के पास हरियाणा नंबर की कंटेनर से उनके ट्रक के टक्कर मारने से हुआ। टक्कर मारने वाले वाहन के नंबर एचआर 55 7822 थे। उनका ट्रक टक्कर लगने से डिवाईडर पर चढ़कर खाई में गिर गया, जिससे उनके चोटें आई और हरिलाल की मौत हो गई। गवाहान् ने यह कथन किया कि कंटेनर कौन चला रहा था, यह उनकी जानकारी में नहीं है। **कंटेनर चालक मौके से भाग गया था, इसलिए उन्हें नहीं पता कि कंटेनर कौन चला रहा था।** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाहान् ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित वाहन कौन चला रहा था, यह उनकी जानकारी में नहीं है। ट्रक के ब्रेक लगने से कंटेनर टकराया और डिवाइडर पर चढ़कर खाई में गिर गया।

11. इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 1 डॉ. अनिल ने दुर्घटना के आहतगण सुंदर, प्रेमलाल, जीवन व भैरूलाल के शरीर पर आई चोटों की प्रकृति के संबंध में अपनी साक्ष्य दी है। उक्त गवाह द्वारा आहत प्रेमलाल, जीवन व भैरूलाल के के शरीर पर आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का

कथन किया है एवं गवाह पीडब्ल्यू 5 डॉ. विकास पुरूषोत्तम ने दुर्घटना के मृतक हीरालाल उर्फ हरिलाल पिता केशुलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य आहत हीरालाल पिता लहरीलाल के शरीर पर आई चोटों की प्रकृति के संबंध में अपनी साक्ष्य दी है। उक्त गवाह द्वारा मृतक हीरालाल के बाएं हाथ में फ्रेक्चर तथा शरीर पर आई चोटें साधारण व गंभीर प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है।

12. इसके अतिरिक्त दुर्घटना कारित कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 के पंजीकृत स्वामी गवाह पीडब्ल्यू 17 नितिन को परीक्षित करवाया गया। गवाह द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 18 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर तथा जवाब स्वीकार किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि कंटेनर पर घटना दिनांक को दो ड्राईवर थे। उसके द्वारा प्रदर्श पी 18 पर जो जवाब लिखा गया, वह पुलिस के द्वारा कहे अनुसार लिखा गया है। गवाह ने यह कथन किया कि वक्त घटना उक्त वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता।

13. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 15 तुलसीराम को परीक्षित करवाया गया, जो फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 14 का गवाह है, जिसने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। उसके मिनी ट्रक को भैरूलाल चला रहा था। कंटेनर चालक ने कंटेनर को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके मिनी ट्रक के टक्कर मार दी थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह मौके पर नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि किस वाहन की गलती से दुर्घटना हुई।

14. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 14 मानसिंह है, जिसने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 19.10.2021 को वह एचसी एमटीओ के पद पर पुलिस लाईन राजसमंद के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस थाना देलवाड़ा के प्रतिवेदन पर जप्तशुदा ट्रक नंबर एचआर 55 एसी 7822 व डिटेनशुदा मिनी ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 का मेकेनिकल कर मेकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 तैयार की।

15. इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिक गवाह परीक्षित हुए हैं, जिनमें से गवाह पीडब्ल्यू 18 उदयलाल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। जिसके द्वारा जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी 5 में ड्राईवर का नाम अंकित नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि दोनों वाहनों में से कोई भी वाहन गलत दिशा में नहीं था। गवाह ने यह सही बताया कि प्रकरण में उसके द्वारा अभियुक्त इमरान खान की चोटिल व्यक्तियों से कोई पहचान नहीं करवाई गई, ना ही इस बाबत् कोई फर्द कायम की। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर नीचे बाईं तरफ खड्डे में गिर गया, जिससे दुर्घटना घटित हुई, फिर कहा कि कंटेनर चालक द्वारा पीछे से ट्रक के टक्कर मारने से ट्रक अनियंत्रित होकर खड्डे में गिर गया।

16. इसी प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 के संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 10 ओमप्रकाश तथा गवाह पीडब्ल्यू 11 धुलाराम को परीक्षित करवाया गया है। उक्त दोनों गवाहों ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किए। किंतु जिरह के दौरान गवाहान् ने यह कथन किया कि उनके थाने पर हस्ताक्षर किसने करवाए। उनके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए, उस पर क्या लिखा था, उन्हें नहीं पता। इस प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित करवाए गए, उन दोनों गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया है।

17. इस प्रकार उपरोक्त तात्विक गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया जाए तो उक्त सभी चश्मदीद गवाहों ने दिनांक 16.10.2021 को लिलेरा पेट्रोल पंप के पास ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 का कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 से एक्सीडेंट कारित होने का कथन किया है। प्रकरण के आहतगण/चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 2 भैरूलाल,पीडब्ल्यू 3 प्रेमलाल, गवाह पीडब्ल्यू 4 जीवन, गवाह पीडब्ल्यू 6 सुरेश उर्फ सुंदरलाल, जो ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 में मौजूद थे, उन्होंने दुर्घटना कारित कंटेनर के नंबर एचआर 55 7822 होना बताए है, किंतु उक्त कंटेनर के चालक का नाम उनकी जानकारी में नहीं होने का कथन किया। अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दुर्घटना कारित करने वाले कंटेनर के नंबर एचआर 55 एसी 7822 बताए है, किंतु सभी गवाहों ने यह भी स्पष्ट कहा है कि उन्होंने केवल वाहन के नंबर

देखे थे तथा वाहन चालक को नहीं पहचानते थे। गवाहों के अनुसार दुर्घटना के पश्चात् कंटेनर का चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से वक्त दुर्घटना कंटेनर का चालक अभियुक्त इमरान खान होने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं हुई है। अतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय कंटेनर का चालक अभियुक्त इमरान खान ही था। न्यायालय के मत में केवल वाहन के नंबर ज्ञात होने से अभियुक्त की पहचान सिद्ध करने को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अभियोजन की साक्ष्य से दुर्घटनाकारित वाहन के चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है। लिहाजा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 16.11.2021 को लिलेरा पेट्रोल पंप के पास अभियुक्त इमरान द्वारा ही अपने कंटेनर नंबर एचआर 55 एसी 7822 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रक नंबर आरजे 27 जीसी 4968 के पीछे से टक्कर मारी। लिहाजा अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता एवं 134/187 एमवी एक्ट अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराध के लिए दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **<u>आ दे श</u>** ::

18. अभियुक्त **इमरान** पिता फजरूदीन, उम्र 35 वर्ष, निवासी सेखपूरिया का बास, रहमत नगर सरहेटा, पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता, 1860 एवं धारा 134/187 मोटरवाहन अधिनियम से विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा **437ए दं.प्र.सं. के तहत प्रत्येक अभियुक्त पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश करें जो छः माह** की अवधि के पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी माने जावें।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीदार के पास है, जो उसी के पास रहेगा। बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन नहीं होने की सूरत में नियमानुसार सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा निरस्त समझा जावें।

(संजू चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा

निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा